रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062022-236882 CG-DL-E-28062022-236882

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458] No. 458] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2022/ आषाढ़ 7, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2022/ASHADHA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2022

सा.का.नि. 479 (अ).— केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 331 (अ), तारीख 17 मई, 2021 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख से जिसकों उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिवस की अविध की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनसाधारण को 17 मई, 2021 को उपलब्ध करवाई गई थीं;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए है, केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

4311 GI/2022 (1)

- 1. (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर नियम (दसवां संशोधन) नियम, 2022 है।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 के नियम 95 में,-
- (क) उपनियम (1) में, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास पश्चात् "आईएस: 15636-2005" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "आईएस:15636-2012" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;
- (ख) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) एआईएस: 142:2019 में यथा-परिभाषित वर्ग सी1, सी2 और सी3 के अधीन आने वाले परिकिल्पित टायर, नीचे दी गई सारणी में दी गई समय-सीमा के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित किए जाने तक, एआईएस: 142:2019 में यथा-परिभाषित चल प्रतिरोध और चल घ्वनि उत्सर्जन तथा गीली पकड़ सीमाओं को पूरा करेंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	टायर का वर्णन	कार्यान्वयन की तारीख	
		चल प्रतिरोध, गीली पकड़	चल घ्वनि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मोटरयान में लगाये जाने वाले और एआईएस: 142 के अनुसार यथा प्रयोज्य वर्ग सी1, सी2 और सी3 के अधीन आने वाले नई परिकल्पना के टायर	01 अक्तूबर, 2022	01 अक्तूबर, 2022
2.	मोटरयान में लगाये जाने वाले और एआईएस: 142 के अनुसार यथा प्रयोज्य वर्ग सी1, सी2 और सी3 के अधीन आने वाले विद्यमान परिकल्पना के टायर	01 अप्रैल, 2023	01 जून, 2023

स्पष्टीकरण.— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए.-

- (i) पद "नई परिकल्पना के टायर" से ऐसे टायर अभिप्रेत है जो एआईएस 142 के कार्यान्वयन की तारीख को या उसके पश्चात् आईएस 15633/ आईएस 15636 के अनुसार अनुमोदित हो और नये मोटरयानों पर ओई फिट किए जाएंगे;
- (ii) पद "विद्यमान परिकल्पना के टायर" से ऐसे टायर अभिप्रेत है जो एआईएस 142 के कार्यान्वयन की तारीख से पहले आईएस 15633/आईएस 15636 के अनुसार अनुमोदित हो और नये मोटरयान पर ओई फिट किए जा रहे हैं।"।

[सं. आरटी-11036/61/2021-एमवीएल] अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 413(अ), तारीख 2 जून, 2022 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, 28th June, 2022

G.S.R. 479(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 331(E), dated the 17th May, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 17th May, 2021;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

- 1.(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Tenth Amendment) Rules, 2022.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 95,-
- (a) In sub-rule (1), for the letters and figures "IS:15636-2005" the letters and figures "IS:15636-2012" shall be substituted, after six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette;
- (b) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(1A) The tyre designs falling under class C1, C2 and C3, as defined in AIS 142:2019, and as applicable, shall meet the Stage 2 limits of Rolling Resistance and Rolling Sound Emissions and limits of Wet Grip, as specified in AIS 142:2019, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (11 of 2016) as per the timelines given in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tyre Description	Date of Implementation		
		Rolling Resistance, Wet	Rolling Sound	
		Grip		
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	New designs of tyres to be fitted on Motor	01st October 2022	01 st October 2022	
	Vehicles and falling under Class C1, C2 and			
	C3 as applicable as per of AIS 142			
2.	Existing designs of tyres to be fitted on	01 st April 2023	01 st June 2023	
	Motor Vehicles and falling under Class C1,			
	C2 and C3 as applicable as per AIS 142			

Explanation.- For the purpose of this sub-rule.-

- (i) the expression "new designs of tyres" means any tyres approved as per IS 15633/IS 15636, on or after the date of implementation of AIS 142 and to be OE fitted on new motor vehicles;
- (ii) the expression "existing designs of tyres" means any tyres approved as per IS 15633 /IS 15636, before the date of implementation of AIS 142 and being OE fitted on new motor vehicles.".

[No. RT-11036/61/2021-MVL] AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 413(E), dated the 2nd June, 2022.